

बिहार सरकार  
अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग  
सं०-8डी०(बजट-आबंटन-2225) 13-20/2018 - 03

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार  
निदेशक ।

सेवा में,

सहायक निदेशक(मुख्यालय),

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक- 16.04.18

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग मुख्यालय के निदेशालय के लिए स्थायी राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के पदों के संधारणार्थ पूरे वर्ष के लिए कुल ₹3,86,08,000/- (तीन करोड़ छियासी लाख आठ हजार) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग मुख्यालय के निदेशालय के लिए स्थायी पदों के संधारणार्थ पूरे वर्ष के लिए संलग्न विवरणी के अनुसार कुल ₹3,86,08,000/- (तीन करोड़ छियासी लाख आठ हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दिया जाता है ।

2. आबंटित राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में मांग संख्या-44 के मुख्य शीर्ष-2225-अनु० जातियों, अनु० जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-001 निदेशन और प्रशासन-0001-निदेशन एवं प्रशासन के प्राथमिक इकाईयों-00010101-वेतन, 00010102-विशेष वेतन,00010103-जीवन यापन भत्ता, 00010104-मकान किराया भत्ता, 00010105-परिवहन भत्ता, 00010106-चिकित्सा भत्ता, 00010107-अन्य भत्ता, 0001.1101-यात्रा व्यय, 0001.1301-कार्यालय व्यय, 0001.1302-वाहन ईंधन एवं रख-रखाव, 0001.1310-भाड़े की गाड़ी का भुगतान, 0001.1303-दूरभाष, 0001.1305-विधि प्रभार, 0001.1306-वर्दी/पोशाक, 0001.0601-चिकित्सा प्रतिपूर्ति, 0001.2002-कॉन्फरेस, कार्यशाला, सेमिनार, 0001.2802-संविदा सेवाएँ, 0001.0501-पुरस्कार, 0001.2003-प्रशिक्षण व्यय मांग संख्या-44, विपत्र कोड संख्या 44-2225010010001 के उचित ईकाईयों के अन्तर्गत विकलनीय है।


3- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक (मुख्यालय) अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण होंगे।

4- वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17/04/98 एवं राज्य सरकार के द्वारा निर्गत पत्र/परिपत्रों के आलोक में यह आवंटनादेश निर्गत किया जा रहा है।

5- राशि की नियमानुसार निकासी एवं समुचित उपयोग का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पर होगी।

6- प्रत्येक माह व्यय विवरणी भेजी जाये।

विश्वासभाजन,


  
(वीरेन्द्र कुमार)  
निदेशक ।

ज्ञापक- 8डी०(बजट-आबंटन-2225) 13-20/2018 - 03 पटना, दिनांक- 16.04.18

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, सिंचाई भवन, पटना / वित्त विभाग, बजट शाखा / निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण / अपर सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग / सचिव के प्रधान आप्त सचिव अनु० जाति एवं अनु० जनजाति (मुख्यालय) / लेखा शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग (दोहरी प्रति में) / वित्त विभाग, बजट शाखा / सांख्यिकी कोषांग, / प्रशाखा पदा० 2डी० अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापक- 8डी०(बजट-आबंटन-2225) 13-20/2018 - 03 पटना, दिनांक- 16.04.18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक ।

54

विवरण

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण  
मुख्यालय एवं निदेशालय अन्तर्गत स्थायी राजपत्रित एवं अराजपत्रित  
पदों के संधारणार्थ पूरे वर्ष के लिए आवंटित राशि की विवरणी

(राशि रू0 में)

| क्रमांक | मद का नाम                               | वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आवंटित राशि |
|---------|---|---|
| 1       | 2                                       | 3                                       |
| i       | 0001 0101-वेतन                          | 2,35,00,000                             |
| ii      | 0001 0103-जीवन यापन भत्ता               | 23,50,000                               |
| iii     | 0001 0104-मकान किराया भत्ता             | 37,60,000                               |
| iv      | 0001 0105-परिवहन भत्ता                  | 4,00,000                                |
| v       | 0001 0106-चिकित्सा भत्ता                | 8,00,000                                |
| vi      | 0107-अन्य भत्ता                         | 12,000                                  |
|         | <b>योग (वेतन )</b>                      | <b>3,08,22,000</b>                      |
| 2       | 0001 0601-चिकित्सा प्रति पूर्ति         | 2,50,000                                |
| 3       | 0001 0501 पुरस्कार                      | 6,000                                   |
| 4       | 0001 1101-यात्रा भत्ता                  | 2,00,000                                |
| 5       | 0001 1301-कार्यालय व्यय                 | 20,00,000                               |
| 6       | 0001 1303-दूरभाष                        | 1,50,000                                |
| 7       | 0001 1302-वाहन का इंधन एवं रखरखाव       | 4,00,000                                |
| 8       | 0001 1310- भाड़े की गाड़ी का भुगतान     | 10,00,000                               |
| 9       | 0001 2802- संविदा सेवाएं                | 35,00,000                               |
| 10      | 0001 2003-प्रशिक्षण व्यय                | 5,000                                   |
| 11      | 0001 2002-कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार | 2,00,000                                |
| 12      | 0001 1305-विधि प्रभार                   | 75,000                                  |
|         | <b>कुल योग</b>                          | <b>3,86,08,000</b>                      |

(तीन करोड़ छियासी लाख आठ हजार रू0) मात्र

*Sanjay*  
निदेशक 1/11/18

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग  
का अनुलग्नक

पत्रांक दिनांक

*Sanjay*